



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1388) पटना, वृहस्पतिवार, 14 अगस्त 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० 09/नि०-19-01/2025-15200/सा०प्र०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार में वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियंत्रण हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली “बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हों—

- (क) ‘राज्य सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (ख) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
- (ग) ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है नियम-3(2) एवं (3) में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
- (घ) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है नियम-3(1) में यथानिर्धारित संवर्ग;
- (ङ) ‘कोटि’ से अभिप्रेत है नियम-3(4) में निर्धारित कोटि;
- (च) ‘मेधा सूची’ से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।
- (छ) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसूची-1 में यथानिर्धारित विभाग;
- (ज) ‘संलग्न कार्यालय’ से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के परिशिष्ट में यथानिर्धारित विभागों के संलग्न कार्यालय;
- (झ) ‘अधीनस्थ कार्यालय’ से अभिप्रेत है किसी विभाग के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालय;

- (ज) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथानिर्धारित प्राधिकार;
- (ट) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

3. संवर्ग की संरचना।—

- (1) प्रत्येक विभाग (संलग्न कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) एवं प्रत्येक समाहरणालय के वाहन चालकों का एक पृथक संवर्ग होगा।
- (2) वाहन चालकों के प्रत्येक विभागीय (संलग्न कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव होंगे।
- (3) वाहन चालकों के प्रत्येक समाहरणालय संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।
- (4) प्रत्येक संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्र. सं.	पदनाम	प्रास्थिति	अभ्युक्ति
1.	वाहन चालक (साधारण कोटि)	मूल कोटि	अराजपत्रित
2.	वाहन चालक (कोटि-2)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3.	वाहन चालक (कोटि-1)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
4.	वाहन चालक (विशेष कोटि)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

- (5) संवर्ग के प्रत्येक कोटि के पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।
परन्तु, नियत तिथि को किसी संवर्ग में वाहन चालक के कुल स्वीकृत बल का 35 प्रतिशत वाहन चालक (साधारण कोटि) स्तर के लिए, 30 प्रतिशत वाहन चालक (कोटि-2) स्तर के लिए, 20 प्रतिशत वाहन चालक (कोटि-1) स्तर के लिए एवं 15 प्रतिशत वाहन चालक (विशेष कोटि) स्तर के लिए कर्णांकित किया जायेगा।

4. सीधी भर्ती।—

- (1) संवर्ग के मूल कोटि के वाहन चालक (साधारण कोटि) के पद पर नियुक्ति, आयोग की अनुशंसा से, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।
- (2) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, वर्ष की 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर, वाहन चालक (साधारण कोटि) के पद की रिक्तियों की गणना की जायेगी और आयोग को 30 अप्रिल तक आरक्षण रोस्टर के अनुरूप आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) आयोग द्वारा अधियाचना के आलोक में विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा तथा आरक्षण कोटिवार अनुशंसा सीधे संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (4) संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की समुचित जाँचोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. सीधी भर्ती हेतु अर्हता।—

- (1) वाहन चालक (साधारण कोटि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता निम्नवत् होगी—
 - (i) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना;
 - (ii) चार चक्का वाहन चालन का वैध लाइसेन्स प्राप्त रहना;
 - (iii) यातायात नियमों की अच्छी जानकारी होना;
 - (iv) वाहन की सामान्य जानकारी रहना;
 - (v) शारीरिक रूप से स्वस्थ होना।
- (2) उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।
- (3) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु अठारह (18) वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

परन्तु, अधिकतम उम्र सीमा में वाहन चालक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-आफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

6. सीधी भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया।—

- (1) संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता अंक की गणना आयोग द्वारा निम्नवत् किया जाएगा—

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य के लिए अंकों की अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)।	25 अंक
कुल —	100 अंक

नोट:— (i) परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

अर्थात् अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) × 75

- (ii) संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा।

- (2) लिखित परीक्षा की प्रक्रिया, विषय एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा। लिखित परीक्षा में मैट्रिक स्तर के प्रश्न के साथ-साथ वाहन चालन, यातायात नियम एवं वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (3) लिखित परीक्षा के आधार पर कुल रिक्तियों के 2.5 गुणा चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित आयोग द्वारा निर्धारित जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। यह जाँच आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें मोटर यान निरीक्षक एक सदस्य होंगे।
- (4) उप-नियम-(1) एवं उप नियम-(3) में प्राप्त अंकों के योगफल के आधार पर आयोग द्वारा मेधा सूची तैयार की जायेगी और तदनुसार संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को आरक्षण कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **आरक्षण।—** संवर्ग में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

8. **परीक्ष्यमान अवधि।—** संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त वाहन चालक 01 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **सम्पुष्टि।—** परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रहने, उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल संसूचन नहीं होने और सेवा सम्पुष्टि के संदर्भ में समय-समय पर यथानिर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त वाहन चालक की सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी।

10. **वरीयता।—** संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त वाहन चालकों की वरीयता आयोग की मेधासूची के क्रमानुसार निर्धारित की जायेगी। सरकार द्वारा समय-समय पर वरीयता निर्धारण के प्रावधान संवर्ग में लागू होंगे।

11. प्रोन्नति।—

- (1) संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी। प्रोन्नति हेतु सरकार द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित मापदण्ड संवर्ग में भी लागू होंगे।
- (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

12. स्थानान्तरण।—

- (1) जिला स्तरीय संवर्ग के किसी वाहन चालक को प्रशासनिक आवश्यकता के आलोक में दूसरे जिला स्तरीय संवर्ग में, उनके प्रवेश के आधार पर उनकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानान्तरित करने की शक्ति सामान्य प्रशासन विभाग में होगी।
- (2) जिला स्तरीय संवर्ग के किसी वाहन चालक के अनुरोध पर, उनका स्थानान्तरण किसी दूसरे जिला स्तरीय संवर्ग में करने की शक्ति सामान्य प्रशासन विभाग में होगी। परन्तु एतदर्थ संबंधित दोनों जिलों के नियुक्ति प्राधिकार की अनुशंसा आवश्यक होगी तथा स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित वाहन चालक स्थानान्तरित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।
- (3) एक ही जिला से एक ही नियुक्ति वर्ष के एक से अधिक वाहन चालकों का किसी दूसरे जिला में स्थानान्तरण होने पर नये जिला संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरीयता पूर्व के जिला संवर्ग के वरीयता क्रमानुसार निर्धारित होगी।
- (4) भिन्न जिलों से एक ही नियुक्ति वर्ष के वाहन चालकों का किसी दूसरे जिला में स्थानान्तरण होने पर नये जिला संवर्ग में उनकी वरीयता उनके प्रथम योगदान की तिथि के आधार पर, प्रथम योगदान की तिथि समान रहने पर उनकी जन्म तिथि (अधिक उम्र वाले वरीय होंगे) के आधार पर, और जन्म तिथि एक रहने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रम में निर्धारित होगी।

13. अनुशासनिक कार्रवाई।— बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान संवर्ग में भी प्रभावी होंगे।**14. अवशिष्ट मामले।—**जिन मामलों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उन मामलों में संवर्ग के कर्मी राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गए प्रावधान से आच्छादित होंगे।**15. कठिनाई का निराकरण।—** इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने में किसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित आदेश से, किया जा सकेगा।**16. निर्वचन।—** इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निदेशित किया जायेगा। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।**17. शिथिलीकरण की शक्ति।—** इस नियमावली के किसी प्रावधान से किसी वाहन चालक अथवा वाहन चालक के समूह को, सरकार की राय में, अनुचित कष्ट होने पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उस प्रावधान को किसी वाहन चालक अथवा वाहन चालक के समूह के लिए शिथिल किया जा सकेगा।**18. निरसन एवं व्यावृत्ति। —**

- (1) एतद् द्वारा **बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005** एवं संवर्ग के संबंध में नियत तिथि के पूर्व समय—समय पर निर्गत सभी संकल्प/नियमावली/आदेश आदि निरसित समझे जायेंगे।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत नियमावली/ संकल्प/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

14 अगस्त 2025

संख्या-09/नि0-19-01/2025-15201/सा0प्र0 अधिसूचना संख्या 15200 दिनांक 14 अगस्त 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 14th August 2025

No.-09/NI-19-01/2025-15200/GAD—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby, makes the following Rules to regulate the appointment and conditions of service to the posts of Drivers in Government of Bihar-

1. *Short Title, Extent And Commencement.—*

- (i) These Rules may be called as the Bihar Drivers (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2025.
- (ii) It extends to the whole State of Bihar;
- (iii) It shall come into force at once.

2. *Definitions.- In these Rules, unless the context otherwise requires,-*

- (a) "**State Government**" means the State Government of Bihar;
- (b) "**Commission**" means the Bihar Technical Service Commission;
- (c) "**Appointing Authority**" means the authority as prescribed in Rule-3(2) and (3);
- (d) "**Cadre**" means the cadre as prescribed in Rule-3(1);
- (e) "**Grade**" means the grade as prescribed in Rule 3(4);
- (f) "**Merit list**" means the list of candidates recommended by the Bihar Technical Service Commission;
- (g) "**Department**" means the department as prescribed in Schedule-1 of Rules of Executive Business, 1979(as amended from time to time);
- (h) "**Attached Offices**" means the Attached Offices to the departments as prescribed in Schedule of Bihar Secretariat Service Rules, 2010 (as amended from time to time);
- (i) "**Subordinate Office**" means the subordinate office under control of the department;
- (j) "**Cadre Controlling Authority**" means the Appointing Authority or any other authority prescribed by him for this purpose;
- (k) "**Due date**" means the date of commencement of this Rules.

3. *Structure of the Cadre.—*

- (1) There will be a separate cadre of Drivers for every department (including its attached offices and subordinate offices) and every Collectorate.
- (2) The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of concerned department shall be the appointing authority of Drivers in that departmental cadre (including its attached offices and subordinate offices).
- (3) The District Magistrate of concerned district shall be the appointing authority of Drivers in that collectorate cadre.

- (4) The structure of every cadre shall be as follows-

S.No	Name of the Post	Status	Remarks
1.	Driver (General Grade)	Basic Grade Level	Non Gazetted
2.	Driver (Grade-2)	First Promotion Level	Non Gazetted
3.	Driver (Grade-1)	Second Promotion Level	Non Gazetted
4.	Driver (Special Grade)	Third Promotion Level	Non Gazetted

- (5) The sanctioned strength and Pay scale/Pay level of posts of every grade of the cadre shall be as sanctioned by the State Government from time to time.

Provided that, 35 percent of the total sanctioned strength of the cadre on due date shall be earmarked as sanctioned strength of Driver (General Grade), 30 percent of the total sanctioned strength of the cadre on due date shall be earmarked as sanctioned strength of Driver (Grade-2), 20 percent of the total sanctioned strength of the cadre on due date shall be earmarked as sanctioned strength of Driver (Grade-1) and 15 percent of the total sanctioned strength of the cadre on due date shall be earmarked as sanctioned strength of Driver (Special Grade).

4. **Direct Recruitment.—**

- (1) The recruitment to the post of Driver (General Grade), basic grade of the cadre, shall be filled by direct recruitment, on the basis of recommendation of the Commission.
- (2) Every appointing authority, shall calculate the vacancies available to the post of Driver (General Grade) as on 1st April, and shall send reservation rosterwise requisition to the Commission by 30th April, through General Administration Department.
- (3) The Commission shall advertise the vacancies as per requisition, and make available the reservation rosterwise recommendation, directly to the concerned appointing authority.
- (4) The concerned appointing authority shall issue appointment orders of the *recommended candidates after due scrutiny*.

5. **Eligibility for Direct Recruitment.—**

- (1) The eligibility criterion for direct recruitment to the post of Driver (General Grade) shall be as follows-
 - (i) Minimum educational qualification shall be passing in Matric or equivalent examination;
 - (ii) Shall have bonafide license of driving four wheelers;
 - (iii) Shall have good knowledge of prevalent Traffic Rules;
 - (iv) Shall have general knowledge of vehicles;
 - (v) Shall have good physical health.
- (2) There shall be no weightage for having higher educational qualification.
- (3) The minimum age for direct recruitment shall be 18 years and maximum shall be as determined by the State Government from time to time.

Provided that, a relaxation, in the upper age limit, equivalent to the period of service rendered under contract employment as Driver, shall be granted. The work experience in all Government/Non-private (Central Government, Panchayat,

Municipal Bodies, etc.) offices/institutions within the State of Bihar, shall be considered for this relaxation in the upper age limit. The working period on contract shall be determined on the basis of the Salary Payment Certificate issued by the relevant controlling authority. The period up to the cut-off date, mentioned in the advertisement published by the commission, shall be considered for calculating work experience."

6. Process of Selection for Direct Recruitment.—

- (1) For appointment to the basic post of the cadre, the calculation of marks obtained in the competitive examination conducted by the Commission and weightage marks for working on contract basis, shall be calculated by the Commission as follows-

	<u>Full Marks</u>
(a) Weightage of marks obtained in the competitive examination conducted by the Commission	75 Marks
(b) Weightage of marks for working on contract basis (Weightage of 5 marks per working year, maximum limit shall be of 25 marks. For work experience of part of a year, weightage marks shall be calculated by dividing the number of working days by 365 and then multiplying it by 5)	25 Marks
Total	100 Marks

- Note-** (i) Weightage of marks obtained in the competitive examination conducted by the Commission shall be calculated by multiplying the percentage of total marks obtained in that examination by 0.75.

$$\text{i.e. Weightage marks} = \frac{\text{marks obtained in the examination}}{\text{total marks of the examination}} \times 75$$

- (ii) The working experience on contractual basis in all Government/ Non-private (Central Government, Panchayat, Municipal Bodies, etc.) offices/institutions within the State of Bihar, shall be considered of calculation of weightage marks.
- (2) The process, subjects and syllabus of the written examination shall be determined by the Commission. The questions in the examination shall be of matriculation level which also includes questions related to motor driving, knowledge of prevalent Traffic Rules and general knowledge of vehicles.
- (3) Candidates, 2.5 times the number of vacancies, shall have to appear in the test examination, of total 100 marks, for motor driving and general knowledge of vehicles, conducted by the Commission. This test shall be held by a committee, constituted by the Commission, in which one Motor Vehicle Inspector shall also be a member.
- (4) The Commission shall prepare a merit list on basis of sum of the marks obtained as per sub rule-1 and sub rule-3 above, and, accordingly send its recommendation, reservation roster wise, to the concerned appointing authority.

7. Reservation.— The provisions regarding reservation roster, as decided from time to time by the State Government, shall be applicable in direct recruitment and promotion, in this cadre.

8. **Probation period.**—The Driver, appointed by direct recruitment in the cadre, shall be on probation for 01 (one) year. If the service is not found satisfactory during the probation period, it shall be extended, after recording the reasons, for 01 (one) more year. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.
9. **Confirmation.**— The services of directly recruited Driver shall be confirmed after satisfactory completion of probation period, no adverse communication against him and fulfilling the other criterion for confirmation of service as decided from time to time.
10. **Seniority.**—The seniority of the directly recruited Drivers shall be determined according to their position in the merit list of the Commission. The provisions of seniority determination, as decided from time to time by the Government, shall be applicable in this cadre also.
11. **Promotion.**—
 - (1) The promotion to the higher grades of the cadre shall be given on the basis of seniority-cum-merit, on the basis of the recommendation of the departmental promotion committee.
 - (2) The concerned appointing authority shall constitute departmental promotion committee by a separate order.
12. **Transfer.**—
 - (1) In the light of administrative exigencies, the General Administration Department shall have the power to transfer a Driver from one District cadre to another District cadre, maintaining his seniority based on his entry in the service.
 - (2) On the request of any driver of a district cadre, the General Administration Department shall have the power to transfer him to another district cadre. But for this, the recommendation of the appointment authority of both the concerned districts shall be necessary, and, as a result of the transfer, the concerned driver will become junior most in his appointment year, in the transferred district cadre.
 - (3) In case of more than one driver of the same appointment year from the same district is transferred to another district, their inter-se seniority in the new district cadre shall be determined as per their inter-se seniority in the previous district cadre.
 - (4) In case of drivers of the same appointment year from the different districts are transferred to another district, their inter-se seniority in the new district cadre shall be determined on the basis of their date of first joining, if the date of first joining is same, then on the basis of their date of birth (the one with older age shall rank senior), and if the date of birth is same, then in the order of the first letter of their name in Hindi alphabet.
13. **Disciplinary Action.**—The provisions of Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable in this cadre also.
14. **Residuary Matters.**— The issues, for which there is no specific provision in these rules, the employees of this cadre shall be governed by the provisions for the employees of equivalent level, in the State Government.
15. **Removal of Difficulties.**— Any difficulty in implementing any provision of these rules shall be removed by the General Administration Department, by an order published in the Gazette.

16. **Interpretation.**— If any doubt arises regarding the interpretation of any provision of these rules, the matter shall be referred to the General Administration Department. In this context, the decision taken by the General Administration Department, in consultation with the Law Department, shall be final.
17. **Power to relax.**— If, in the opinion of the Government, any provision of these rules causes undue hardship to any Driver or group of Drivers, the General Administration Department may relax that provision for any Driver or group of Drivers.
18. **Repeal and Savings.**—
 - (1) The Bihar Driver (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2005 as well as all other Resolutions/Rules/Orders regarding this cadre issued before due date, shall, hereby, deemed to be repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken exercising the powers conferred under the said Rules/Resolutions/Orders etc. issued earlier, shall be deemed to have been done, using the powers conferred by or under these rules, as if these rules were in force on the date on which any such work or action was taken.

By the order of Governor of Bihar,
Dr. B. Rajender,
Additional Chief Secretary to the Government.

—
 अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 1388-571+500-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>